



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 34859 वर्ष 2025

दीपचंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राजेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : नितिन मुकेश, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से श्री नितिन मुकेश, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन एफ.आर. मुकदमा संख्या 13 सन् 2025 (महिपाल बनाम दीप चंद), जो मुकदमा अपराध संख्या 17 सन् 2025, धारा 74, 351(2) बी.एन.एस. तथा पाँक्सो अधिनियम की धारा 7/8, थाना पटवाई, जिला रामपुर से उत्पन्न है और विद्वान विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो अधिनियम), अनन्य रामपुर के समक्ष लंबित है, की कार्यवाही को निरस्त करने तथा उक्त मामले में पारित दिनांक 06.08.2025 के समन आदेश को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के अनुसरण में निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

3. दिनांक 11.09.2025 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के सत्यापन हेतु मामले को संबंधित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपनी दिनांक 19.09.2025 की रिपोर्ट द्वारा सूचित किया है कि पक्षकारों के मध्य मामले में समझौता हो गया है, जिसकी प्रति अभिलेख पर है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा पक्षकारों के मध्य कुछ गलतफहमी एवं आशंकाओं के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। समय बीतने के साथ वे अपने मतभेदों को दूर करने में सक्षम हुए हैं और उन्होंने लिखित रूप में आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है, जिसका सत्यापन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी किया गया है। उन्हें यह एहसास हुआ है कि आवेदकों की ओर से कोई आपराधिक आशय नहीं था और आवेदकों द्वारा कोई आपराधिक अपराध कारित नहीं किया गया है।

5. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों की सत्यता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की सत्यता पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई विवाद नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. यह तर्क दिया गया है कि उक्त समझौते के दृष्टिगत, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003(4) एससीसी 675** तथा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303** के मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में निरस्त किया जाना चाहिए।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बी.एस. जोशी (उपर्युक्त)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/निस्तारण के माध्यम से विवाद समाप्त हो गया है, तो धारा 320 आई.पी.सी. में निहित किसी बात के बावजूद, पक्षकारों के मध्य अभिलिखित समझौते के दृष्टिगत इस न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 498-ए आई.पी.सी. आदि की कार्यवाही को निरस्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान सिंह (उपर्युक्त) के मामले में अनुच्छेद-61 में अभिनिर्धारित किया है कि;

“आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, संहिता की धारा 320 के अंतर्गत अपराधों के शमन के लिए आपराधिक न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति से भिन्न और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और उस पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है, किंतु इसका प्रयोग उन दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए जो ऐसी शक्ति में निहित हैं, अर्थात्; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अथवा (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन्तु मामलों में अपराधी और पीड़ित द्वारा अपने विवाद का निस्तारण कर लिए जाने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पश्चात आपराधिक कार्यवाही अथवा शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई निश्चित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर समुचित ध्यान देना चाहिए। जघन्य एवं गंभीर अपराध, जिनमें मानसिक विकृति शामिल हो, अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को, भले ही पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद का निस्तारण कर लिया हो, उचित रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के मध्य किया गया कोई समझौता, ऐसी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का आधार प्रदान नहीं कर सकता। किंतु वे आपराधिक मामले जिनका स्वरूप अत्यधिक एवं मुख्यतः दीवानी है, निरस्तीकरण के प्रयोजन के लिए भिन्न स्थिति में होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न होते हैं अथवा दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक अपराध या ऐसे पारिवारिक विवाद, जिनमें गलत कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसकी राय में अपराधी और पीड़ित के मध्य समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ एवं अत्यंत क्षीण हो गई हो और आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न एवं प्रतिकूलता में डाल देगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण निपटारे और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि क्या समझौते एवं निपटारे के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित अथवा न्याय के हित के प्रतिकूल होगा, अथवा आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है। यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर होगा।”

8. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466 , योगेन्द्र यादव बनाम झारखण्ड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653 और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एससीसी 641 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का निस्तारण कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का आपसी सहमति से सौहार्दपूर्वक निस्तारण कर लिया है, जिसका सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी किया गया है और जिसकी रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर है। अतः यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2, जो विचारण जारी रहने की स्थिति में अभियोजन का मुख्य साक्षी होगा, ने विचारण के दौरान प्रतिकूल साक्षी होने की अपनी स्पष्ट एवं असंदिग्ध मंशा व्यक्त कर दी है। ऐसी परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले के गुण-दोष एवं सत्यता को अलग रखते हुए भी, यदि विचारण को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का बहुमूल्य समय काफी हद तक व्यर्थ हो सकता है।

10. न्यायालय इस कठोर वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकता कि वर्तमान मामले तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों के तथ्यों में, यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में किसी अपराध के तत्व विद्यमान हैं, तथापि इस प्रकार का समझौता हो जाने के कारण दोषसिद्धि की संभावना न केवल क्षीण है, बल्कि यदि ऐसे विचारणों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है और इन्हें राज्य के लगभग सभी आपराधिक न्यायालयों में लंबित अन्य सभी विचारणों के साथ जारी रखा जाता है, तो वर्तमान मामले जैसे मामलों में विचारण जारी रहने से उन अन्य मामलों को अत्यधिक नुकसान हो सकता है, जिनमें वादकारी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

11. सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे कुछ समझौता प्रबंधों को स्वीकार करने में अनिच्छुक रहता। दुर्भाग्यवश, आपराधिक मामलों की भारी लंबितता तथा समाज में व्याप्त झूठ बोलने और असत्य कथन करने की अत्यधिक प्रवृत्ति को देखते हुए यह मार्ग भी न्यायालय को उचित नहीं लगता—जहां प्रतिशोध लेने की इच्छा कभी-कभी न्याय की शुद्ध खोज पर हावी हो जाती है; जहां विधिक लड़ाई जीतना सही कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है; जहां अपने विरोधी को सबक सिखाना अक्सर आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है।

12. अतः समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों को देखते हुए, न्यायालय के लिए अधिक व्यावहारिक और कम तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना उचित प्रतीत होता है—अर्थात् वर्तमान मामले जैसे कुछ आपराधिक अभियोजनों को समाप्त कर दिया जाए, ताकि अन्य मामलों में अधिक प्रभावी, दक्ष एवं उचित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण किया जा सके, जहां वादकारी अपने अधिकारों के प्रति गंभीर प्रतीत होते हैं और अपने दृष्टिकोण में अधिक सुसंगत हैं।

13. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के संबंध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए और इन सभी कारकों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार किया जाता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एससीसी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपर्युक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपर्युक्त) तथा परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त)** के मामलों में प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

14. अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, तथापि इस शर्त के अधीन कि पक्षकार आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष लागत जमा करेंगे। ऐसी लागत इसलिए अधिरोपित की जानी आवश्यक है, ताकि पक्षकारों (इस मामले में) विशेष रूप से तथा समाज को सामान्य रूप से यह ज्ञात हो कि न्यायालय अपने सदस्यों के अनैतिक एवं त्रुटिपूर्ण आचरण का मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। जो समाज अपने सदस्यों को अपने न्यायालयों का दुरुपयोग करने की अनुमति देगा, उसे अंततः भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वास्तविक एवं मिथ्या, दोनों प्रकार के वादकारी सदैव एक ही कतार में खड़े रहेंगे। न्यायालयों के पास वास्तविक और मिथ्या वादकारी की पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह केवल किसी मामले में सुनवाई समाप्त होने के बाद ही ज्ञात होता है। सुनवाई में समय लगता है। वास्तव में, यदि न्यायालय किसी मिथ्या वादकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी करें, तो प्रक्रिया एवं निष्पक्षता के नियमों से बंधे होने के कारण ऐसे मामलों में दो वास्तविक वादकारियों के मामले की तुलना में अधिक समय देना पड़ेगा।

15. ऐसी परिस्थितियों में, यद्यपि अभियोजन को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तथापि इस स्तर पर आवेदकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पूर्ण असत्यता के संबंध में कोई दृढ़ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है, तथापि इस शर्त के अधीन कि रुपये 4,000/- (प्रत्येक पक्षकार पर रुपये 2,000/-) की लागत आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा की जाएगी।

16. विधिक सेवा समिति उन वादकारियों के लाभ के लिए अस्तित्व में है और कार्य करती है, जिनके लिए न्यायालयीन प्रक्रियाओं का खर्च वहन करना कठिन है। यह स्वयं समाज को एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सेवा प्रदान करती है। अतः लागत की उक्त राशि विधिक सेवा समिति को जमा करने का निर्देश देना उचित प्रतीत होता है, ताकि समाज और उसके सदस्यों को अपने कार्यों एवं आचरण तथा उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों पर आत्मचिंतन एवं विचार करने की याद दिलाई जा सके और उन्हें चेतावनी दी जा सके।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

06 अगस्त, 2026

एस. अली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।